दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)
पर
समझौता

सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) की सरकारों के सदस्य राज्यों में बांग्लादेश जनवादी गणराज्य, भूटान राज्य, भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य, नेपाल राज्य, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य शामिल है, बाद में " करार राज्य " के रूप में संदर्भित है।

अंतर-सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता से, इस क्षेत्र की क्षमता की प्राप्ति अधिकतम करने के लिए अपने लोगों के लाभ के लिए, व्यापार और विकास के लिए आपसी समतुल्यता की भावना से,स्वायत्त समानता, स्वतंत्रता और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के लिए पूर्ण सम्मान के साथ **अभिप्रेरित**;

ध्यान देने योग्य बात है कि 11वीं अप्रैल 1993 में ढाका में हस्ताक्षर किए गए सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था पर समझौता (साप्ता) अधिमान्य आधार पर व्यापार उदारीकरण के विभिन्न साधनों के अभिग्रहण के लिए प्रदान करता है;

भरोसा हो गया कि सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिमान्य व्यापार व्यवस्था राष्ट्रीय और सार्क आर्थिक लचीलापन के सुदृढ़ीकरण, और करार राज्य के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास, निवेश और उत्पादन के अवसरों, व्यापार, और विदेशी मुद्रा आय के साथ-साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग के विकास के विस्तार के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा;

ध्यान रहे कि सामानों की मुक्त आवाजाही के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्र इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं;

यह मानते हुए कि इस क्षेत्र में अल्प विकसित देशों को अपने विकास की जरूरत के साथ विशेष और अंतर उपचार अनुरूपता की जरूरत है; तथा

यह पहचानने है कि माल की सीमा पार प्रवाह के लिए बाधाओं को दूर करके; इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग के उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए एक अधिमान्य व्यापार व्यवस्था से परे प्रगति आवश्यक है ;

निम्न प्रकार से सहमति व्यक्त की है :

<u>अनुच्छेद - 1</u>

परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए:

1. **रियायतों** का मतलब है व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के तहत पर सहमत हुए टैरिफ, पैरा- टैरिफ और गैर टैरिफ रियायतें;
2. **प्रत्यक्ष व्यापार उपायों** का मतलब है करार राज्यों के आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल उपाय, लंबी और मध्यम अवधि के ठेके जैसे, विशिष्ट उत्पादों के संबंध में आयात और

आपूर्ति प्रतिबद्धताओं से युक्त, वापसी खरीद की व्यवस्था, राज्य व्यापार संचालन, और सरकार और सार्वजनिक खरीद;

3. **अल्प विकसित करार राज्य** संदर्भित है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक करार राज्य जो एक "अल्प विकसित देश" के रूप में नामित किया गया है
4. **सीमांत अधिमान्य** का मतलब है अधिमान्य व्यवहार के परिणाम के रूप में एक करार राज्य से दूसरे **केलिए आयातित** उत्पादों पर टैरिफ का प्रतिशत है जिसके द्वारा टैरिफ कम हो जाते हैं

5. **गैर प्रशुल्क उपाय** "टैरिफ" और "पैरा-टैरिफ " के अलावा अन्य किसी भी उपाय, विनियमन, या कार्यप्रणाली शामिल है ।

6. **पैरा- प्रशुल्क** का मतलब है, "टैरिफ" के अलावा अन्य सीमा प्रभार और शुल्क, प्रभाव जो आयात पर विदेश व्यापार लेनदेन पर एक टैरिफ की तरह पूरी तरह लगाया जाता है, लेकिन उन अप्रत्यक्ष कर और शुल्क नहीं, जो एक ही तरीके से घरेलू उत्पादों पर लगाया जाता है। तदनुसार विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान आयात प्रभार को पैरा-टैरिफ उपायों के रूप में नहीं माना जाता है ।

7. **उत्पाद** का मतलब है विनिर्माण और उनके कच्चे, अर्द्ध प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत रूपों में पण्यों सहित सभी उत्पाद ;
8. **साप्ता** का मतलब 11 वीं अप्रैल 1993 को ढाका में हस्ताक्षर किए सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था पर समझौता;

9. **गंभीर क्षति** का मतलब अल्पावधि में अस्थिर आय, उत्पादन या रोजगार के मामले में पर्याप्त घाटे से अधिमान्य आयात में भारी उछाल के कारण की तरह या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग की एक महत्वपूर्ण हानि ;
10. प्रशुल्क का मतलब है करार राज्य के राष्ट्रीय टैरिफ अनुसूचियों में शामिल सीमा शुल्क;

11. **गंभीर क्षति के खतरे** का मतलब है एक परिस्थिति, जिसमें अधिमान्य आयात की पर्याप्त वृद्धि घरेलू उत्पादकों को 'गंभीर क्षति "पैदा करने की प्रकृति का है, और इस तरह की क्षति, हालांकि अभी तक मौजूदा नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से आसन्न है। गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर और मात्र आरोप, अनुमान, या दूरस्थ या परिकल्पित संभावना के आधार पर नहीं किया जाएगा।

<u>अनुच्छेद - 2</u>

प्रतिष्ठान

इस समझौते के अनुसार करार राज्य उनके बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से एतद्द्वारा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को स्थापित करते हैं ।

<u>अनुच्छेद - 3</u>

उद्देश्य और सिद्धांत

1. इस समझौते के उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ करार राज्यों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए हैं:

क) करार राज्यों के प्रदेशों के बीच व्यापार करने के लिए बाधाओं को दूर करने, और उत्पाद की सीमा पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने ;

ख) अपने स्तर और आर्थिक विकास की पद्धति को ध्यान में रखते हुए मुक्त व्यापार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतियोगिता की शर्तों को बढ़ावा देने, और सभी करार राज्य को समान लाभ सुनिश्चित करने ;

ग) इसके संयुक्त प्रशासन और विवादों के समाधान के लिए कारगर कार्यविधि बनाने और इस समझौते के अनुप्रयोग लागू करने के लिए; तथा

घ) इस समझौते के विस्तार और आपसी लाभ को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा की स्थापना।

2. साफ्टा निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा:

क) साफ्टा करार इस समझौते के प्रावधानों तथा राज्य द्वारा इसकी रूपरेखा के भीतर सहमत हुए नियम, विनियम, निर्णय, समझ और प्रोटोकॉल के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और भी ;

ख) करार राज्य मार्राकेश समझौते के तहत एक दूसरे के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और अन्य संधियों / करार के लिए जो इस तरह के करार राज्य हस्ताक्षरकर्ता हैं अपने मौजूदा अधिकारों और दायित्वों का प्रतिज्ञान करते हैं ;

ग) साफ्टा समग्र पारस्परिकता और फ़ायदे की पारस्परिकता की तरह समान रूप से सभी करार राज्यों के लाभ के लिए उनकी आर्थिक और औद्योगिक विकास के संबंधित स्तरों के आधार पर और सिद्धांतों पर लागू, उनके बाहरी व्यापार और टैरिफ नीतियों और प्रणालियों की पद्धति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ;

घ) साफ्टा देशों के बीच अन्य बातों के साथ, शुल्कों, पैरा टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंध के उन्मूलन के माध्यम से, माल की आवाजाही और किसी भी अन्य समकक्ष उपायों पर; माल की मुक्त आवाजाही को शामिल करेगा ;

ड.) साफ्टा प्रासंगिक क्षेत्रों में करार राज्य के द्वारा व्यापार सुविधा और अन्य उपायों ग्रहण करने,और विधानों के प्रगतिशील अनुरूपता शामिल की जाएगी ; तथा

च) एक गैर पारस्परिक आधार पर उनके पक्ष में ठोस अधिमान्य उपायों को अपनाने के द्वारा अल्प विकसित करार राज्यों की विशेष आवश्यकताओं की स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगी ।

अनुच्छेद - 4

उपाय

साफ्टा समझौते निम्नलिखित उपायों के माध्यम से लागू किया जाएगा : -

1. व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम
2. मूल के नियमों
3. संस्थागत व्यवस्थाएं
4. परामर्श और विवाद निपटान प्रक्रिया
5. रक्षा उपायों
6. किसी अन्य उपाय उस पर सहमति व्यक्त की जा सकती है।

अनुच्छेद - 5

राष्ट्रीय व्यवहार

प्रत्येक करार राज्य अन्य करार राज्यों के उत्पादों के लिए गैट 1994 के अनुच्छेद III के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय व्यवहार समझौता करेगा।

अनुच्छेद -6

घटक

साफ्टा में अन्य बातों के साथ व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं :

क) टैरिफ;
ख) पैरा-टैरिफ;
ग) गैर प्रशुल्क उपाय ;
घ) प्रत्यक्ष व्यापार के उपाय

अनुच्छेद -7

व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम

1. करार राज्य टैरिफ कटौती की निम्नलिखित अनुसूची के साथ सहमत हैं :

क) गैर-अल्प विकसित करार राज्यों द्वारा समझौते के लागू होने की तारीख से 2 साल की एक समय सीमा के भीतर मौजूदा टैरिफ दरों से 20% टैरिफ कम किया जाएगा । करार राज्यों को समान वार्षिक किश्तों में कटौती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समझौते के लागू होने के बाद वास्तविक टैरिफ दर 20% से नीचे हैं, तो प्रत्येक के लिए दो वर्षों में अधिमान्यता के आधार पर वास्तविक टैरिफ दरों पर 10% की एक वार्षिक छूट बनी रहेगी ।

ख) अल्प विकसित करार राज्यों द्वारा प्रशुल्क कटौती मौजूदा टैरिफ़ दरें समझौते के लागू होने की तारीख से 2 साल की समय सीमा के भीतर 30% करने के लिए किया जाएगा। अगर समझौते के लागू होने की तारीख को वास्तविक टैरिफ़ दरें 30% से नीचे हैं, दो वर्षों में प्रत्येक के लिए वास्तविक टैरिफ़ दरें पर 5% की अधिमान्यता के आधार पर एक वार्षिक कटौती हो जाएगी।

ग) गैर अल्प विकसित करार राज्यों द्वारा उत्तरवर्ती टैरिफ में कमी, समझौते के लागू होने की तारीख से तीसरे वर्ष से शुरू 5 वर्ष की दूसरी समय सीमा के भीतर, 20% से या 0-5% से नीचे भी की जाएगी । हालांकि, श्रीलंका द्वारा उत्तरवर्ती टैरिफ में कमी की अवधि छह वर्ष की होगी। करार राज्यों को समान वार्षिक किश्तों, लेकिन प्रतिवर्ष कम से कम 15% कटौती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

घ) अल्प विकसित करार राज्यों द्वारा उत्तरवर्ती टैरिफ में कमी समझौते के लागू होने की तारीख से तीसरे वर्ष से शुरु 8 साल के एक दूसरे समय सीमा के भीतर 30% से या 0-5% से नीचे ही किया जाएगा । अल्प विकसित करार राज्यों को समान वार्षिक किश्तों में कटौती, कम से कम प्रतिवर्ष 10% अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. उपरोक्त टैरिफ कटौतियों की अनुसूचियाँ करार राज्यों को उनके टैरिफ 0-5% तुरंत कम करने से या टैरिफ में कमी की एक त्वरित अनुसूची के पालन से रोका नहीं जाएगा ।

3.क) करार राज्य उपरोक्त पैरा 1 में व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकते, टैरिफ लाइनों संवेदनशील सूची में शामिल करने के लिए (अल्प विकसित देशों और गैर-अल्प विकसित देशों के लिए) करार राज्यों से बातचीत की जाएगी जो कि एक अभिन्न अंग के रूप में इस समझौते में शामिल किया गया है । संवेदनशील सूची में उत्पादों की संख्या परस्पर करार राज्यों के बीच अल्प विकसित करार राज्यों के लिए लचीलेपन के साथ अपने निर्यात हित के उत्पादों के संबंध में अप्रतिष्ठा की तलाश करने के लिए सहमति व्यक्त किए जाने की अधिकतम सीमा के अधीन होगी; तथा

ख) संवेदनशील सूची में उत्पादों की संख्या को कम करने की दृष्टि से संवेदनशील सूची हर चार साल बाद या अनुच्छेद 10 के तहत स्थापित साफ्टा की मंत्रिस्तरीय परिषद (एसएमसी) के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार , जो भी पहले हो, समीक्षा की जाएगी।

4. करार राज्य सभी गैर-टैरिफ और पैरा टैरिफ उपायों को वार्षिक आधार पर अपने व्यापार के लिए सार्क सचिवालय को सूचित करेंगे । अनुच्छेद 10 के तहत स्थापित विशेषज्ञों की समिति द्वारा, इसकी नियमित बैठकों में प्रासंगिक विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के साथ अपनी संगतता की जांच के लिए अधिसूचित उपायों की समीक्षा की जाएगी । विशेषज्ञों की समिति अंतर-सार्क व्यापार [1] को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से न्यूनतम व्यापार प्रतिबंधात्मक ढंग से उपाय के उन्मूलन या कार्यान्वयन की सिफारिश करेगी ।

5. संविदा पक्ष व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम में शामिल उत्पादों के संबंध में गैट 1994 के तहत अन्यथा अनुमति के अलावा, सभी मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त करेगा ।

---

1 *प्रारंभिक अधिसूचना समझौते के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर तैयार की जाएगी और सीओई अपनी पहली बैठक में अधिसूचनाओं की समीक्षा करेंगे और उचित निर्णय लेंगे ।*

6. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निहित प्रावधानों के बावजूद, गैर-अल्प विकसित करार राज्य समझौते के लागू होने की तारीख से शुरु तीन वर्ष की समय सीमा के भीतर अल्प विकसित करार राज्य के उत्पादों के लिए 0-5% करने की अपने टैरिफ को कम करेगा।

अनुच्छेद -8

अतिरिक्त उपाय

करार राज्य पारस्परिक लाभ के लिए साफ्टा के समर्थन और पूरक व्यापार सुविधा और अन्य उपायों को अपनाने लिए अनुच्छेद 7 में निर्धारित उपायों के अलावा विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। दूसरों के बीच में ये शामिल हो सकते हैं : -

क) मानकों का सामंजस्य, करार राज्यों की परीक्षण प्रयोगशालाओं के परीक्षण और पारस्परिक मान्यता के प्रत्यायन तथा मान्यता और उत्पादों के प्रमाणीकरण;

ख) सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया के सरलीकरण और अनुकूलीकरण ;

ग) एच एस कोडिंग प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुकूलीकरण

घ) सीमा शुल्क प्रवेश बिंदुओं पर विवाद को हल करने के लिए सीमा शुल्क सहयोग;

ङ) आयात लाइसेंस और पंजीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण और अनुकूलीकरण ;

च) आयात वित्तपोषण के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं के सरलीकरण;

छ) कुशल अंतर-सार्क व्यापार के लिए विशेष रूप से स्थल सीमा करार राज्यों के लिए पारगमन की सुविधा ;

ज) अंतर-सार्क निवेश के लिए अवरोधों को दूर करना;

झ) व्यापक आर्थिक परामर्श ;

ञ) निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए नियम और उद्यम पूंजी के संवर्धन ;

ट) साफ्टा योजना के तहत उत्पादों के लिए भुगतान के साथ ही शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट) के अनुच्छेद XVIII के तहत उनके अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस तरह के भुगतान के प्रत्यावर्तन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की संधि के अंतर्नियम के संगत प्रावधानों के संबंध में, उनके विदेशी मुद्रा प्रतिबंध के अपवाद ,यदि कोई हो ; तथा

ठ) व्यापार वीजा के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

अनुच्छेद -9

समझौता वार्ता रियायतें का विस्तार

विशेष रूप से अल्प विकसित करार राज्यों के लिए बनाए रियायतों के अलावा अन्य रियायतों पर सहमति, सभी करार राज्यों के लिए बिना शर्त विस्तारित की जाएगी।

अनुच्छेद -10

संस्थागत व्यवस्थाएं

1. करार राज्य इसके द्वारा साफ्टा की मंत्रिस्तरीय परिषद (बाद में एसएमसी के रूप में संदर्भित) की स्थापना करते हैं ।

2. एसएमसी साफ्टा के उच्चतम निर्णय लेने निकाय होगा और प्रशासन और इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे और सभी निर्णय और व्यवस्थाएं अपने कानूनी ढांचे के भीतर किए गए।
3. एसएमसी में करार राज्य के वाणिज्य / व्यापार मंत्रियाँ शामिल होंगे ।
4. एसएमसी की हर साल कम से कम एक बार या और करार राज्यों द्वारा जब आवश्यक मानते हो अधिक बार बैठक होगी । प्रत्येक करार राज्य वर्णमाला के क्रम में रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए एसएमसी के अध्यक्ष होंगे ।

5. एसएमसी, विशेषज्ञों की एक समिति (बाद में सी ओ ई के रूप में संदर्भित) प्रत्येक करार राज्य से व्यापार मामलों में विशेषज्ञता रखते एक वरिष्ठ आर्थिक पदाधिकारी एक के स्तर पर के उम्मीदवार के साथ समर्थित किया जाएगा ।

6. सीओई इस समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन, मॉनिटर, समीक्षा करेगा और एसएमसी द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करेगा। सी ओ ई हर छ महीनों में एसएमसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

7. इस समझौते के तहत सीओई विवाद निपटान निकाय के रूप में भी कार्य करेगा ।

8. सीओई कम से कम एक बार हर छह महीने में मिलेंगे या करार राज्यों द्वारा जब आवश्यक मानते हो अधिक बार मिलेंगे । प्रत्येक करार राज्य वर्णमाला के क्रम में रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए सीओई के अध्यक्ष रहेगा।
9. सार्क सचिवालय उनके कार्यों के निर्वहन में एसएमसी और सीओई को सचिवालय सहायता प्रदान करेगा ।
10. एसएमसी और सीओई प्रक्रिया के अपने नियम अपनाएंगे । .

अनुच्छेद -11

अल्प विकसित करार राज्यों के लिए विशेष और विभिन्न व्यवहार

इस समझौते के अन्य प्रावधानों के अलावा, सभी करार राज्य निम्नलिखित उप पैराग्राफ में निर्धारित के रूप में विशेष रूप से अल्प विकसित करार राज्यों के लिए विशेष और अधिक तरफदारीपूर्ण व्यवहार प्रदान करेगा:

क) जब एंटी डंपिंग और / या काउंटरवेलिंग उपायों के अनुप्रयोग पर विचार करते समय करार राज्यों को अल्प विकसित करार राज्यों की स्थिति के लिए विशेष ध्यान देना होगा । इस संबंध में करार राज्य अल्प विकसित करार राज्यों के लिए परामर्शों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा । करार राज्य व्यावहारिक हद तक, अल्प विकसित करार राज्यों से निर्यातकों द्वारा पेशकश किए मूल्य के उपायों

को अनुकूल रूप से स्वीकार करेंगे । ये निर्माणात्माक उपाय सभी करार राज्यों द्वारा जब तक व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है तब तक उपलब्ध हो जाएंगे ।

ख) अल्प विकसित करार राज्य द्वारा अन्य करार राज्य से महत्वपूर्ण परिस्थितियों में बिना किसी भेदभाव आयात पर मात्रात्मक की निरंतरता या अन्य प्रावधिक प्रतिबंध में अधिक लचीलापन

ग) करार राज्य भी जहां व्यावहारिक हो, अल्प विकसित करार राज्य से स्थायी निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्यक्ष व्यापार उपायों को लेते हुए , जैसे कि युक्त विशिष्ट उत्पादों के संबंध में लंबी और मध्यम अवधि के करार के रूप में आयात और आपूर्ति प्रतिबद्धताओं, वापस खरीदने की व्यवस्था, स्टेट ट्रेडिंग संचालन, और सरकार और सार्वजनिक खरीद पर विचार करेगा ।

घ) करार राज्य से अल्प विकसित करार राज्यों से किए अनुरोध पर उन्हें अन्य करार राज्य के साथ अपने व्यापार के विस्तार में सहायता के लिए डिज़ाइन तकनीकी सहायता और सहयोग की व्यवस्था के लिए और साफ्टा के संभावित लाभ लेने में विशेष ध्यान दिया जाएगा । करार राज्य द्वारा इस तरह की तकनीकी सहायता के लिए संभव क्षेत्रों की सूची पर बातचीत की जाएगी और एक अभिन्न अंग के रूप में इस समझौते में शामिल किया जाएगा ।

ड.) करार राज्य पहचानते हैं कि इस समझौते के तहत व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वजह से अल्प विकसित करार राज्य के सीमा शुल्क राजस्व की हानि का सामना कर सकते हैं । जब तक वैकल्पिक घरेलू व्यवस्था इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं, करार राज्य के सीमा शुल्क राजस्व के अपने नुकसान के लिए अल्प विकसित करार राज्य क्षतिपूर्ति करने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हैं। व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टी एल पी) के प्रारंभ से पहले यह तंत्र और इसके नियमों और विनियमों को स्थापित किया जाएगा।

अध्याय - 12

मालदीव के लिए विशेष प्रावधान

एक अल्प विकसित देश की स्थिति से, मालदीव के संभावित या वास्तविक क्रमिक वृद्धि के होते हुए भी और उसके बाद किसी भी संविदात्मक दायित्व जो इस समझौते में अल्प विकसित करार राज्य को प्रदान की अनुकूल व्यवहार की तुलना में कम नहीं होगा ।

अनुच्छेद - 13

गैर अनुप्रयोग

इस समझौते में निर्धारित उपायों के होते हुए भी अधिमान्यताओं के संबंध में किसी करार राज्य सरकार द्वारा इस समझौते के ढांचे के बाहर अन्य करार राज्यों को,पहले से ही प्रदान या प्रदान किए जाने वाले द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से तीसरे देशों को और इसी तरह की व्यवस्था इसके प्रावधान लागू नहीं होगा ।

अनुच्छेद - 14

सामान्य अपवाद

क) अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए जो यह आवश्यक समझे कार्रवाई करने और उपायों को अपनाने से किसी भी करार राज्य को रोकने के लिए इस समझौते में कुछ भी नहीं लगाया जाएगा ।

ख) अपेक्षाधीन उपाय मनमाने ढंग से कार्य करने का एक साधन या अनुचित भेदभाव जहां देशों के बीच में इसी तरह की परिस्थितियों विद्यमान हो, एक तरीके से इस तरह के उपायों में लागू नहीं कर रहे हैं या अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर एक प्रच्छन्न प्रतिबंध को रोकने के लिए इस समझौते में कुछ भी नहीं लगाया जाएगा किसी भी करार राज्य को कार्रवाई करने से और इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे उपाय अपनाने है जो :

(i) सार्वजनिक नैतिकता;

(ii) मानव, पशु या पादप जीवन और स्वास्थ्य; तथा

(iii), कलात्मक ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य की वस्तुओं।

अनुच्छेद - 15

भुगतान के संतुलन उपाय कार्यवाही

1. इस समझौते के प्रावधानों के बावजूद, किसी भी करार राज्य जो गंभीर संतुलन भुगतान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस समझौते के तहत बढ़ाए प्रावधिक रियायतें निलंबित कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार लिए इस तरह की किसी भी उपाय तुरंत विशेषज्ञों की समिति को अधिसूचित किया जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार विशेषज्ञों की समिति समय समय पर उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार किसी भी अन्य करार राज्य के अनुरोध पर किसी भी करार राज्य कार्रवाई लेता है, साफ्टा के तहत रियायतों की स्थिरता को बनाए रखने करने की दृष्टि से परामर्शों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा ।

5. संबंधित करार राज्यों के बीच इस तरह की परामर्शों की शुरुआत के 30 दिनों के भीतर, कोई संतोषजनक समायोजन प्रभावित है तो आपसी सहमति के माध्यम से एक और 30 दिनों के लिए बढ़ा जा सकता है, इस मामले विशेषज्ञों की समिति को भेजा जा सकता है।

6. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार किए गए ऐसे किसी भी उपाय पर विशेषज्ञों की समिति इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि संबंधित करार राज्य के भुगतान की स्थिति के संतुलन में सुधार हुआ है, जल्द ही चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 16

रक्षा उपाय

1. किसी भी उत्पाद हैं, जो इस समझौते के तहत एक रियायत का विषय है, एक करार राज्य के क्षेत्र में या ऐसी मात्रा के कारण,या धमकी का कारण हो , उत्पादकों को गंभीर क्षति जैसे या आयात करार राज्य में, सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों इस तरीके में आयात किया जाता है, आयात करार राज्य इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, करार राज्य के सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए एक जांच के अनुसार इस समझौते के प्रावधानों के तहत प्रदान की रियायतें अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। घरेलू उद्योग पर प्रभाव के संबंध की जांच के अन्य सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा और उत्पाद के घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांक और "गंभीर क्षति" और सार्क क्षेत्र के भीतर से आयात के बीच, ऐसे अन्य सभी कारकों के अपवर्जन के लिए एक करणीय संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

2. इस तरह के निलंबन केवल ऐसे समय के लिए और आवश्यक हद तक या इस तरह की क्षति को रोकने के लिए के उपाय लेने तक किया जाएगा किसी भी मामले में, इस तरह के निलंबन 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा ।

3. एक उत्पाद का आयात ऐसे एक उपाय के अधीन कर दिया गया है जो करार राज्य द्वारा, व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान कुछ समय केलिए जिसके दौरान बराबर इस तरह के उपाय पहले से लागू किया गया था, एक करार राज्य द्वारा कोई रक्षा उपाय फिर से नहीं लागू किया जाएगा बशर्ते कि गैर अनुप्रयोग की अवधि न्यूनतम दो वर्ष है ।

4. रक्षा उपायों के सहारा के लिए इस अनुच्छेद के तहत सभी जांच प्रक्रियाएं गैट 1994 के अनुच्छेद XIX और विश्व व्यापार संगठन समझौते पर सुरक्षा उपायों के अनुरूप हो जाएगा ।

5. इस अनुच्छेद के तहत रक्षा कार्रवाई के गैर भेदभावपूर्ण और इस अनुच्छेद के पैरा 8 के प्रावधानों के अधीन अन्य सभी करार राज्य से आयातित उत्पाद के लिए लागू हो जाएगा ।

6. जब इस अनुच्छेद के अनुसार रक्षा के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है इस तरह के उपायों को लागू किए करार राज्य तुरंत निर्यात करार राज्य और विशेषज्ञों की समिति को सूचित करेगा/करेंगे ।

7. महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जहां देरी नुकसान का कारण होगा, जो उसे सुधारने के लिए मुश्किल होगा, एक करार राज्य प्रारंभिक दृढ़ संकल्प के अनुसार अनंतिम रक्षा उपाय ले सकता है कि स्पष्ट सबूत है कि बढ़ गए आयात गंभीर क्षति होने के कारण की धमकी दे रहे हैं । अस्थाई उपाय की अवधि 200 दिन से अधिक नहीं होगी, इस अवधि के दौरान इस अनुच्छेद की संगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के किसी बात के होते हुए, इस अनुच्छेद के तहत रक्षा उपाय तब तक एक अल्प विकसित करार राज्य में एक उत्पाद के उद्भव के लिए लागू नहीं किया जाएगा जब तक आयात करार राज्य में संबंधित उत्पाद के आयात के अपने हिस्से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, बशर्ते कि कम से कम 5% आयात हिस्सेदारी के साथ अल्प विकसित करार राज्य संबंधित उत्पाद के कुल आयात के 15% से अधिक न होने का सामूहिक रूप से हिसाब देना होगा ।

अनुच्छेद - 17

रियायतें के मूल्य का अनुरक्षण

इस समझौते के अन्य अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत के अलावा करार राज्य द्वारा इस समझौते के तहत सहमत किसी भी रियायत, व्यापार को सीमित करने किसी भी उपाय के अनुप्रयोग द्वारा कम या निरस्त नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - 18

मूलस्थान के नियम

करार राज्यों द्वारा उत्पत्ति के नियम पर बातचीत की जाएगी और इस समझौते में एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 19

परामर्श

1. प्रत्येक करार राज्य इस समझौते के प्रचालन को प्रभावित किसी भी विषय के संबंध में दूसरे करार राज्य द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बारे में परामर्शों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और पर्याप्त अवसर देगा ।
2. विशेषज्ञों की समिति, एक करार राज्य के अनुरोध पर, अनुच्छेद 1 के तहत परामर्शों के माध्यम से किसी विषय जिसके लिए एक संतोषजनक समाधान खोजने के लिए संभव नहीं रहा है, किसी भी करार राज्य के साथ परामर्श करेंगी ।

अनुच्छेद - 20

विवाद निपटान तंत्र

1. इस समझौते के प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के बारे में करार राज्यों के बीच पैदा हुए किसी भी विवाद या करार राज्य के अधिकार और दायित्वों के विषय में इसकी रूपरेखा के भीतर अपनाए किसी भी साधन द्विपक्षीय परामर्शों के लिए एक अनुरोध द्वारा शुरू की एक प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से संबंधित पक्षों के बीच तय किया जाएगा ।

2. किसी भी करार राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार अन्य करार राज्य के साथ इस मुद्दे पर उपायों की पहचान सहित अनुरोध के लिए कारण बताते हुए लिखित रूप में परामर्शों लिए अनुरोध कर सकता है । ऐसे सभी अनुरोधों को शिकायत के कानूनी आधार के एक संकेत के साथ सार्क सचिवालय के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

3. इस अनुच्छेद के अनुसार परामर्शों के लिए एक अनुरोध किया जाता है तो जिस करार राज्य के लिए अनुरोध किया जाता है जब तक अन्यथा परस्पर सहमति से,इसकी प्राप्ति की तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर अनुरोध का प्रत्युत्तर और अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के बाद, 30 दिन की अधिक न वाली अवधि के भीतर एक परस्पर संतोषजनक समाधान तक पहुँचने की दृष्टि से अच्छे विश्वास में परामर्शों में प्रवेश करेगा ।

4. करार राज्य अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, या कोई 30 से अधिक दिनों की अवधि के भीतर या एक अवधि अन्यथा परस्पर सहमति अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के बाद परामर्शों में प्रवेश नहीं करते, तो समिति द्वारा तैयार किया जाने वाली कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार इस विवाद को सुलझाने के लिए परामर्शों के आयोजन के लिये अनुरोध किए करार राज्य विशेषज्ञों की समिति से अनुरोध करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं ।

5. परामर्श गोपनीय और किसी भी आगे की कार्यवाही में किसी भी करार राज्य के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

6. परामर्शों के लिए अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के बाद 30 दिनों के भीतर एक इस विवाद को सुलझाने के लिए अगर परामर्श असफल हो जाते तो आपसी सहमति के माध्यम से शिकायत किए करार राज्य इस विवाद को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की समिति से 30 दिनों की अवधि बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं ।

7. विशेषज्ञों की समिति तुरंत निर्दिष्ट मामले की जांच करेगी और संप्रेषण की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर इस मामले पर अपनी सिफ़ारिशें देगी।

8. विशेषज्ञों की समिति एक करार राज्य से विवाद के प्रति पार्टी न वाले समिति द्वारा स्थापित विशेषज्ञों के एक पैनल से चयनित एक विशेषज्ञ से समझौते के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर समकक्ष समीक्षा के लिए इस मामले को भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। विशेषज्ञ के पास इस मामले की सिफ़ारिश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इस तरह की समीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाएगी ।

9. किसी भी करार राज्य हो, जो विवाद में एक पक्ष है, एसएमसी को विशेषज्ञों की समिति की सिफ़ारिशों का अपील कर सकते हैं। एसएमसी अपील के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर इस मामले की समीक्षा करेंगे। एसएमसी, विशेषज्ञों की समिति की सिफ़ारिशों को बनाए रखने, संशोधित करने या उल्टा कर सकते हैं।

10. जहां विशेषज्ञों की समिति या एसएमसी निष्कर्ष निकालता है कि विवाद के विषय के उपाय इस समझौते के किसी प्रावधानों के साथ असंगत है, यह सलाह देंगे कि संबंधित करार राज्य इस समझौते के साथ अनुरूप उपाय लाते हैं । इसकी सिफ़ारिशों के अलावा, विशेषज्ञों या एसएमसी की समिति जिस तरीके में संबंधित करार राज्य की सिफ़ारिशों को लागू करने की सलाह दे सकते हैं ।

11. जिस करार राज्य को समिति या एसएमसी की सिफ़ारिशें संबोधित कर रहे हैं सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर समिति या एसएमसी द्वारा, सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपने इरादे विशेषज्ञों की समिति को सूचित किया जाएगा । उक्त करार राज्य समिति की सिफारिशों की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर सिफारिशों को लागू करने में विफल होते तो , विवाद में बराबर उपाय से व्यापार प्रभाव होने पर रियायतें वापस लेने के लिए विशेषज्ञों की समिति अन्य इच्छुक करार राज्य को प्राधिकृत कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - 21

वापसी

1. किसी भी करार राज्य लागू होने के बाद किसी भी समय इस समझौते से वापस ले सकते हैं। इस तरह की वापसी, छह महीने की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगा, जिस पर एक लिखित नोटिस इस समझौते के निक्षेपागार उसके सार्क के महा सचिव द्वारा प्राप्त होता है । साथ ही वह करार राज्य अपने द्वारा ली गई कार्रवाई विशेषज्ञों की समिति को सूचित करेगा।

2. एक करार राज्य जिसने इस समझौते से अपने अधिकारों और दायित्वों वापस ले लिया है जो कि प्रभावी तिथि तक लागू करने के लिए समाप्त हो जायेगा।

3. वापसी के बाद किसी भी करार राज्य द्वारा, वापसी के बाद कार्रवाई पर विचार करने के लिए समिति 30 दिनों के भीतर एकत्र होंगी ।

अनुच्छेद - 22

लागू होना

1. यह समझौता सार्क सचिवालय द्वारा उसके एक अधिसूचना पर सभी करार राज्य द्वारा अनुसमर्थन और जारी करने सहित औपचारिकताओं के पूरा होने पर 1 जनवरी 2006 को प्रभाव में आएगा। यह समझौता सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था पर करार (साप्ता) का अधिक्रमण करेगा ।

2. इस समझौते के द्वारा साप्ता का अधिक्रमण होते हुए भी, व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के पूरा होने तक साप्ता फ्रेमवर्क के तहत दी गई रियायतें करार राज्य के लिए उपलब्ध रहेंगी ।

अनुच्छेद - 23

आरक्षण

इस समझौते के आरक्षण के साथ हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, अधिसूचना के समय सार्क सचिवालय को स्वीकृत औपचारिकताओं के पूरा होने से न ही आरक्षण हो जाएगा ।

अनुच्छेद - 24

संशोधन

इस समझौते के साफ्टा की मंत्रिस्तरीय परिषद में सर्वसम्मति से संशोधन किया जा सकता है। सभी करार राज्य के द्वारा सार्क के महासचिव के साथ स्वीकृति के लिखतों के जमा पर इस तरह के किसी भी संशोधन प्रभावी हो जाएगा।

अनुच्छेद - 25

निक्षेपागार

यह समझौता सार्क के महासचिव के साथ जमा किया जाएगा जो तुरंत प्रत्येक करार राज्य को उसके एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।

साक्षी में जहाँ अधोहस्ताक्षरी विधिवत उनके संबंधित सरकारों ने वहां अधिकृत किए जा रहे इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस्लामाबाद, पाकिस्तान में वर्ष दो हजार चार के इस छठे दिन पर, नौ मूल में अंग्रेजी भाषा में सभी विषय वस्तु समान रूप से प्रामाणिक होने के नाते किए गए ।

एम मोरशद खान
विदेश मंत्री
बांग्लादेश जनवादी गणराज्य

नाडो रिनचेन
भूटान के स्थानापन्न विदेश मंत्री

यशवंत सिन्हा
विदेश कार्य मंत्री
भारत गणराज्य के

फाथुल्ला जमील
विदेश कार्य मंत्री
मालदीव गणराज्य

डॉ. भेकि बी.थापा
विदेश मामलों के राजदूत
नेपाल महामहिम सरकार

खुर्शीद एम. कसूरी
विदेश कार्य मंत्री
पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य

टइरोन्ने फेरनाडो
विदेश कार्य मंत्री
श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य